बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 49 दिनांक 1-11-2017

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

विषयः सरकार द्वारा वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के लिए धान/चावल की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया, निर्गत किये गये दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर राज्य स्तर से दिये गए निदेशों के अनुरूप कार्य करने के बावजूद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा अत्यधिक कार्यभार एवं समय के दबाव के कारण हुई लिपिकीय/प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ जैसी प्रशासनिक चूक को आपराधिक दोष बनाकर, मिलरों द्वारा चावल की आपूर्ति में की गई गड़बड़ियों की जाँच हेतु गठित SIT द्वारा प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर प्रताड़ित करने के संबंध में।

प्रसंगः बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC), पटना का पत्रांक–9159 दिनांक 04.12.2011, पत्रांक–9404 दिनांक 08.12.2012 एवं पत्रांक–7714 दिनांक 06.12.2013.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में संघ राज्य सरकार का ध्यान निम्न तथ्यों पर आकृष्ट करना चाहती है कि :–

(1) वर्ष 2011–12 में सरकार द्वारा **BSFC Ltd.** को धान अधिप्राप्ति हेतु पहली बार नोडल एजेंसी बनाया गया तथा राज्य में धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मेट्रिक टन निर्धारित किया गया, जबकि वर्ष 2010–11 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मात्र 10.5 मेट्रिक टन निर्धारित था।

(2) यद्यपि लक्ष्य निर्धारण के पूर्व मानव संसाधनों एवं संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता एवं पूर्व की अधिप्राप्ति आंकड़ों को दृष्टिपथ नहीं रखा गया, फिर भी राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए संघ के पदाधिकारियों द्वारा पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ धान अधिप्राप्ति अभियान में अपना शत–प्रतिशत सहयोग दिया गया तथा सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अक्षरशः पालन किया गया।

(3) धान की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निरूपित किये गए तथा अधिप्राप्ति कार्य का पर्यवेक्षण राज्य सरकार के उच्चतम स्तर से निरंतर किया गया था। **साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की नीति को भी बदला गया तथा मिलरों द्वारा आपूर्त की गयी चावल के बदले धान उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को बदलकर मिलरों को अग्रिम धान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लागू की गयी।** यह भी उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति के इन वर्षो के कटू अनुभव के उपरांत वर्तमान में पुनः पुरानी नीति को लागू किया गया है।

(4) उक्त निदेशों के तहत जिला स्तर पर धान की अधिप्राप्ति की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी को सौंपी गई थी तथा जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त को साप्ताहिक पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन देने का कार्य निरूपित किया गया था। साथ ही धान अधिप्राप्ति कार्य की नीति का निर्धारण एवं संचालन राज्य के उच्चतम स्तर से साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा था।

(5) संघ के पदाधिकारियों द्वारा अपने वरीय एवं नियंत्री पदाधिकारियों के समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन पूरी तत्परता एवं निष्ठा के साथ किया गया, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति अभियान को सफलता भी मिली। अभियान के दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा सभी कार्य सद्भाव (Good faith) एवं निष्कपट मंशा (Bonafide intention) से किये गये थे तथा इसमें किसी का कोई निहित स्वार्थ (Vested interest) या दूर्भावनापूर्ण मंशा (Malafide intention) नहीं थी।

(6) सरकार द्वारा निरूपित प्रक्रिया के तहत धान अधिप्राप्ति के उपरांत अनेक मिलरों द्वारा अनुपातिक सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने में विफल होने की स्थिति में संघ के ही पदाधिकारियों की पहंल पर इनपर वैधिक कार्यवाही आरंभ की गयी तथा काफी बड़ी मात्रा में वसूली भी की जा सकी।

(7) प्रमादी मिलरों द्वारा उनके विरूद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रमादी मिलरों को दी गई राहत को **BSFC** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

(8) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रमादी मिलरों के विरूद्ध विचारण हेतु पांच विशेष न्यायालय तथा जांच कार्य को तीन माह में पूर्ण करने के लिए **SIT** गठित की गई।

(9) **SIT** द्वारा पांच माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी प्रमादी मिलरों के विरूद्ध नगण्य कार्यवाही की गई है, परन्तु इस अवधि में जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर अभियान के दौरान सरकार के द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में इस वृहत कार्य को सम्पादित करने वाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य की अधिकता एवं समय की कमी के कारण हुई लिपिकीय एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, जिसे अधिक से अधिक प्रशासनिक चूक की श्रेणी में रखा जा सकता है, को आपराधिक कृत्य बताकर संघ के पदाधिकारियों को प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा मूल अभियुक्त प्रमादी मिलरों को बचाने की सोची–समझी साजिश रची जा रही है। साथ ही SIT द्वारा गृह विभागीय पत्रांक 6211, दिनांक 09/06/2008 एवं पत्रांक 6818, दिनांक– 23.08.2017 द्वारा सरकार के उस निदेश का भी खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार के राजपत्रित पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कांड दर्ज करने के पूर्व सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

(10) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमादी मिलरों द्वारा प्राप्त किए गए धान की मात्रा को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है बल्कि उनके द्वारा सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने हेतु समय की मांग की जाती रही है।

(11) किसी भी कार्य में त्रुटि के लिए उस कार्य में लगे सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हो ऐसा कोई उदाहरण संज्ञान में नहीं आया है। अगर सरकार को यह लगता है कि त्रुटि के लिए उस कार्य में सभी पदाधिकारी और कर्मचारी दोषी है तो संघ यह कहना चाहेंगा कि उस कार्य के सिस्टम में कहीं न कहीं दोष है।

(12) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा सरकार के साथ रहा है, परन्तु संघ यह भी नहीं चाहेगा कि निर्दोष पदाधिकारी पर कार्रवाई हो।

उपर्युक्त के आलोक में संघ का विनम्र निवेदन होगा कि बिना किसी अनुभव एवं पूर्व तैयारी के सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति अभियान को आरंभ करने के बावजूद भी संघ के पदाधिकारियों द्वारा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पूरी तत्परता एवं निष्ठा के साथ good-faith में सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए धान अधिप्राप्ति अभियान को क्रियान्वित करने के क्रम में यदि पूरे राज्य में असफलता/कमियाँ दृष्टिगोचर हुई है, तो स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की कार्यक्षमता की कमी के कारण नहीं हुई है बल्कि नीतिगत निर्णयों की विफलता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के स्तर से संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ **SIT** द्वारा किये जा रहे दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार को संघ याद दिलाना चाहता है कि उपरोक्त अवधि में भवदीय प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति के रूप में कार्यरत थे एवं भवदीय एवं तत्कालीन मुख्य सचिव के निदेश का ही अनुपालन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी द्वारा अक्षरशः किया गया है एवं विषम परिस्थिति में भी भवदीय के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की गई है। संघ का भवदीय से अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में संघ के सदस्यों के द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई को रोकने हेतु अग्रत्तर कार्रवाई की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुपालन में संघ के सदस्यों द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध किये जा रहे कार्रवाई को रोकने के दिशा में अपने स्तर से कार्रवाई की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुपालन में एवं संघ के सदस्यों द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध किये जा रहे कार्रवाई को रोकने के दिशा में अपने स्तर से कार्रवाई की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव